

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012025-259950 CG-DL-E-06012025-259950 xxxGIDExxx

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2024/पौष 13, 1946

No. 4]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2024/PAUSA 13, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025

सं. 38 / 2024-25

विषयः प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 6.06 में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/92/180/42/एएम25/पीसी—6/ई—40655 समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 6.06 (ग) (ii) औरपैरा 6.06 (ग) (iii) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

पैरा सं.	मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
----------	-------------	--------------

134 GI/2025 (1)

(ii)	तथापि, आयातित चाय का इस्तेमाल आयात की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर करना होगा। इसी प्रकार, मदों {आई.टी.सी. (एचएस) के अध्याय–9 के अन्तर्गत शामिल} के आयात के मद्दे निर्यात दायित्व और नारियल तेल की प्रतिपूर्ति सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा आयात की प्रथम खेप	तथापि, आयातित चाय का इस्तेमाल आयात की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर करना होगा। इसी प्रकार, मदों {आई.टी.सी. (एचएस) के अध्याय–9 के अन्तर्गत शामिल} के आयात के मद्दे निर्यात दायित्व और नारियल तेल की प्रतिपूर्ति सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा आयात की प्रथम खेप की निकासी दिए जाने की
6.06 (ग) (iii)	की निकासी दिए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर करना होगा। इसके अतिरिक्त, वीए प्रयोजन जैसे क्रिशंग / ग्राइंडिंग / स्टेरीलाइजेशन अथवा मिर्च, छोटी इलायची और लाल मिर्चों (और सिर्फ साफ करने, ग्रेडिंग और रिपैकेजिंग आदि के लिए नहीं) के तेल और ओलियोरेजिन के विनिर्माण के लिए मसालों के आयात के मामले में, निर्यात दायित्व पहली खेप के आयात के तारीख से 120 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा। मसालों के आयात के मामले में (काली मिर्च, इलायची, लाल मिर्च को छोड़कर) मसाला तेलों और ओलियोरेसिन के विर्निमाण हेतु निर्यात दायित्व 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा।	तारीख से 6 माह के भीतर करना होगा। इसके अतिरिक्त, वीए प्रयोजन जैसे क्रिशंग / ग्राइंडिंग / स्टेरीलाइजेशन अथवा मिर्च, छोटी इलायची और लाल मिर्चों (और सिर्फ साफ करने, ग्रेडिंग और रिपैकेजिंग आदि के लिए नहीं) के तेल और ओलियोरेजिन के विनिर्माण के लिए मसालों के आयात के मामले में, निर्यात दायित्व पहली खेप के आयात के तारीख से 6 माह के भीतर पूरा किया जाएगा। मसालों के आयात के मामले में (काली मिर्च, इलायची, लाल मिर्च को छोड़कर) मसाला तेलों और ओलियोरेसिन के विर्निमाण हेतु निर्यात दायित्व 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

एफटीपी / एचबीपी, 2023 के अध्याय 4 के प्रावधानों के साथ समरुपता लाने हेतु व्यापार करने में सुगमता के लिए एचबीपी, 2023 के पैरा 6.06 (ग) (ii) और पैरा 6.06 (ग) (iii) में संशोधन किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी,महानिदेशक विदेश व्यापार एवंपदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 3rd January, 2025

No. 38/ 2024-25

Subject: Amendment in Para 6.06 of HBP, 2023- Regarding

F. No. 01/92/180/42/AM25/PC-6/E-40655—In exercise of the powers conferred under Paragraphs 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Para 6.06 (c) (ii) and Para 6.06 (c) (iii) of HBP, 2023:

Para	Existing Para	Amended Para
No.		

However, imported tea shall be However, imported tea shall be utilized within a (c) (ii) utilized within a period of 6 months period of 6 months from the date of import. from date of import. Similarly, Similarly, export obligation against the import of export obligation against import of items {covered by Chapter 9 of ITC(HS)} and items {covered by Chapter 9 of coconut oil shall be fulfilled within a period of 6 ITC(HS) and coconut oil shall be months from the date on which the first import fulfilled within a period of 90 days consignment is cleared by Customs Authorities. from the date on which first import consignment is cleared by Customs Authorities. Further, in case of import of spices Further, in case of import of spices for VA purposes 6.06 (c) (iii) for VA purpose like crushing /like crushing / grinding/sterilization or for the grinding / sterilization or formanufacture of oils and oleoresins of pepper, manufacture of oils and oleoresins cardamom and chillies (and not for simple cleaning, of pepper, cardamom and chillies grading, re-packing etc.), EO shall be fulfilled within (and not for simple cleaning, 6 months from the date of importation of first grading, re- packing etc.), EO shall consignment. In case of import of spices (other than be fulfilled within 120 days from the pepper, cardamom and chillies) for the manufacture first of spice oils and oleoresins, EO shall be fulfilled importation of consignment. In case of import of within 12 months. spices (other than pepper, cardamom

2. Effect of this Public Notice:

and chillies) for manufacture of spice oils and oleoresins, EO shall

be fulfilled within 12 months.

To bring parity with provisions of Chapter 4 of the FTP/HBP, 2023 the provisions of Para 6.06 (c)(ii) and Para 6.06(c)(iii) of the HBP, 2023 stand amended for ease of doing business.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.